



डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक:—प्रशा./७७/2024

दिनांक : 07/02/2024

कार्यालय आदेश

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-265/सत्तर-3-2024, दिनांक 02 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् के वर्ष 2024 के प्रथम सत्र के उपवेशन, साप्ताहिक अवकाश दिनांक 03 फरवरी, 2024 (शनिवार) एवं दिनांक 10 फरवरी, 2024 (शनिवार) को आहूत होने के कारण सामान्य कार्य दिवसों की भाँति यथावत् कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

उक्त शासनादेश के दृष्टिगत आगामी द्वितीय शनिवार, दिनांक 10 फरवरी, 2024 को विश्वविद्यालय में समस्त कार्यालय/विभाग यथावत् खुले रहेंगे।


कुलसचिव


प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
2. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय एवं आवासीय संस्थान।
3. प्रभारी, कुलपति सचिवालय/कैम्प कार्यालय, मा. कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
5. समस्त उप-कुलसचिव।
6. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/अधीक्षक/प्रभारी।
7. प्रभारी, वेब साइट को इस अनुरोध से प्रेषित कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
8. विश्वविद्यालय अधिकृत एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि सभी कॉलेज लॉगिन पर अपलोड करने का कष्ट करे।
9. जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. अभिलेख खण्ड।


कुलसचिव